सीगा धारा 6ए प्रकरण संख्या 37/2018 (RCMS 2018/00049) जगजीत सिंह फतेह सिह, प्रगट सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एस डी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.12.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी जगजीत सिंह एवं प्रगट सिंह एवं उनके अभिभाषक श्री सुरेन्द लालगढिया उपस्थित है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2018 पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रार्थी जगजीत सिंह ने धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 478/2012 सरकार बनाम कमलजीत सिंह निर्णय दिनांक 20.02.2016 के आधार पर धारा 6ए के प्रकरण के अन्तर्गत राजसात किये गये डीजल जगजीत सिंह 330 लीटर व प्रगट सिंह 220 लीटर को वापिस लौटाये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि 6 ए के प्रकरण संख्या 67/2012 सरकार बनाम कमलजीत सिंह के निर्णय दिनांक 22.11.2012 के अनुसार एक वाहन जीप आर.जे.सी. 5553 एवं 1040 लीटर डीजल राजसात करने के आदेश दिये गये थे एवं इस मामले में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 85/2012 दिनांक 16.07.2012 थाना मुकलावा के आधार पर 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या 478/2012 सरकार बनाम कमलजीत सिंह निर्णय दिनांक 20.02.2016 के अनुसार कमलजीत सिंह को दोष मुक्त किया जा चुका है और दोष मुक्ति के परिणामस्वरूप कमलजीत सिंह को उसके वाहन की एवज् में जमा राशि एवं उसका राजसात किया गया 550 लीटर डीजल इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2018 को वापिस लौटाये जाने का आदेश दिया जा चुका है और इसी 06.02.2018 के आदेश में प्राथीगण का जब्तशुदा 330 लीटर जगजीत सिंह का एवं 220 लीटर प्रगट सिंह का वापिस दिया जावे, जिसके जगजीत सिंह के नाम बिल नं. 83190 एवं प्रगट सिंह के नाम बिल संख्या 83191 है, का डीजल या डीजल राशि वापिस लौटाया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार का कथन है कि 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के उक्त अपराधिक प्रकरण में कमलजीत सिंह के दोषमुक्त होने के कारण 6ए के प्रकरण में राजसात किये गये 1040 लीटर डीजल में से कमलजीत सिंह को उसको बिल के अनुसार 550 लीटर डीजल वापिस लौटाया जाने के आदेश दिनांक 06.02.2018 द्वारा पूर्व में ही दिये जा चुके है अब शेष 490 लीटर डीजल ही बचता है, जबकि प्रार्थीगण जगजीत सिंह को 330 लीटर एवं प्रगट सिंह को 220 लीटर डीजल लौटाने की प्रार्थना की है, जो स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि राजसात किये गये 1040 लीटर डीजल में से केवल 490 लीटर डीजल शेष रहता है इसलिए इनको शेष रहा डीजल 490 लीटर ही दिया जा सकता है, जिसे दिये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र लालगढ़िया एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार के कथनों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 04.12.2019 का भी ध्यानपूर्वक आवलोकन किया गया। इस न्यायालय के 6ए प्रकरण संख्या 62/2012 में आदेश दिनांक 20.11.2012 के द्वारा जीप संख्या आर.जे–7सी/5553 में वहन किये गये 1040 लीटर डीजल को राजसात करने का आदेश दिया गया था। थाना पुलिस मुकलावा में एक एफआईआर संख्या 85/2012 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम जगजीत सिह वाहन स्वामी के विरूद्ध दर्ज की गई थी, जिस पर अभियुक्त कमलजीत सिंह के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संख्या 478/2012 सरकार बनाम कमलजीत सिंह मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दर्ज हुआ, जिसमें कमलजीत सिंह को निर्णय दिनांक 20.09.2016 से दोष मुक्त कर दिया गया और दोष मुक्ति के परिणामस्वरूप कमलजीत सिंह ने जब्तशुदा वाहन की जुर्माना राशि 53498/– एवं राजसात किया गया 1040 लीटर डीजल प्राप्त करने की प्रार्थना की। जिस पर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 09/2017 अनवानी कमलजीत सिह पुत्र सवेग सिंह

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर में पारित आदेश दिनांक 06.02.2018 द्वारा कमललीत सिह का 550 लीटर डीजल होने के कारण 550 लीटर डीजल या उसके विक्रय की दशा में उसकी राशि व वाहन जीप संख्या आरजे 7सी/5553 लौटाने के आदेश दिये गये तथा शेष जगजीत सिंह व प्रगट सिंह के डीजल उनके द्वारा प्रार्थना पत्रा पेश करने अलग से नियमानुसार विचार करने के आदेश दिये गये है।

अब चूकि जगजीत सिंह ने 330 लीटर डीजल व प्रगट सिंह ने 220 लीटर डीजल इस न्यायालय में दिनांक 08.03.2018 का वापिस लौटाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस न्यायालय की धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 62/2012 सरकार बनाम कमलजीत सिंह में रसद विभाग द्वारा 1040 लीटर डीजल जब्त किया गया था जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.10.2012 द्वारा विक्रय कर राशि राजकोष में अमानत के रूप में जमा करवाने के आदेश दिये गये थे। कमलजीत सिंह द्वारा भी इस कार्यालय के प्रकरण संख्या 09/2017 में दिनांक 23.01.2017 को प्रार्थना पत्र पेश करके अपने कब्जे से जब्त किये गये 1040 लीटर डीजल व वाहन की जुर्माना राशि 53,498/– रूपये की मांग की गई थी। उसके द्वारा या अन्य जगजीत सिंह या प्रगट सिंह द्वारा ऐसा कोई शिकायती प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया था कि उनके बिलों के अनुसार उनका जब्तशुदा डीजल 1100 लीटर हो। उक्त जब्तशुदा राजसात किये गये 1040 लीटार डीजल में से 550 लीटर डीजल अपने बिल के अनुसार कमलजीत सिंह प्राप्त कर चुका है और शेष 490 लीटर डीजल ही बचता है। ऐसी दशा में उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है। इस मामले में जब्तशुदा राजसात किया गया 1040 लीटर डीजल तक ही वापिस लौटाया जा सकता है, इसलिए जगजीत सिंह व प्रगट सिंह को उनके बिलों के अनुरूप डीजल वापिस नहीं लौटाया जा सकता। चूंकि पूर्व में कमलजीत सिंह का

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

550 लीटर डीजल वापिस लौटाने के आदेश दिये जा चुके है और अब शेष 490 लीटर डीजल ही बचता है इसलिए 490 लीटर डीजल से अधिक डीजल या उसकी राशि वापिस नहीं लौटाई जा सकती। इसलिए जगजीत सिंह व प्रगट सिंह को नियमानुसार 490 लीटर डीजल या विक्रय दशा में 490 लीटर डीजल की राशि मय ब्जाज लौटाया जा सकता है।

अतः प्रार्थीगण जगजीत सिह व प्रगट सिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2018 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि शेष रहा 490 लीटर डीजल या विक्रय की दशा में विक्रय राशि मय नियमानुसार ब्याज के प्रार्थीगण जगजीत सिंह व प्रगट सिंह को लौटाई जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर पालनार्थ भिजवाई जावे। **अभिलेखागार में जमाशुदा धारा 6ए की पत्रावली संख्या 62/2012 आदेश की प्रति साहित वापिस लौटाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर